

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक. 718 दिनांक. 12/2/2013

गत सभा दिनांक 10/1/2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती

है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर-इन-कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर  
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इंदौर

शासकीय माध्यमिक विद्यालय भागीरथपुरा में शाला भवन निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 190/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 05-05-2012 पर प्रभारी जनकार्य समिति क्रमांक 205 दिनांक 10.01.2013 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 308 दिनांक 07.12.2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 62,57,000/-की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 720 दिनांक 12.02.2013

वार्ड क्रमांक 13 के अन्तर्गत नयापुरा क्षेत्र में स्थित उर्दू स्कूल में नवीन स्कूल भवन का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 199/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 08-01-2013 पर प्रभारी शिक्षा समिति क्रमांक 856 दिनांक 1.2.13 पर विचार किया गया।

2- विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 1,09,57,000/-की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।

2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

हाथीपाला उर्दू स्कूल परिसर में मुख्य द्वार बनाना एवं प्रथम तल पर कक्षों का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 194/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 01-01-2013 पर प्रभारी शिक्षा समिति क्रमांक 858 दिनांक 1.2.13 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 211 दिनांक 30.06.2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 25,35,000/-की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 722 दिनांक 12.02.2013

मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम बिचौली हप्सी में स्थित सिटी फॉरेस्ट में 200 कि.ली. क्षमता की आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी निर्माण के लिये निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 22-12-2012 पर विचार किया गया।

2- विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम बिचौली हप्सी में स्थित सिटी फॉरेस्ट में पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु प्रतिदिन ड्रिप पद्धति से सिंचाई की आवश्यकता के दृष्टिगत आर.सी.सी. उच्च स्तरीय पानी की टंकी 200 कि.ली. क्षमता का निर्माण एवं 23 मीटर हैड का निर्माण कार्य हेतु लगभग राशि रुपये 30.00 लाख की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 723 दिनांक 12.02.2013

शहर के झोन क्रमांक 8,10,11 में स्थित उद्यानों के विकास हेतु कराये जाने वाले नलकूपों में मोटर पंप सेट स्थापित करने हेतु निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2651 दिनांक 28-01-2013 पर प्रभारी जलकार्य समिति क्रमांक 95 दिनांक 4.02.2013 पर विचार किया गया।

2- विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 32,73,765/-की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं अल्प निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक 4103203 "ट्यूबवेल खनन एवं मोटर पंप स्थापना करना" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 724 दिनांक 12.02.2013

वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट मदों में पुनर्विनियोग करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1192 दिनांक 12-02-13 प्रभारी पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2- विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2012-2013 के विभागीय बजट मदों में प्रावधानित राशि अनुसार प्रस्तावित कार्यो हेतु निम्नानुसार उल्लेखित (कॉलम नं.2) में से राशि (कॉलम नं.3) का पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाख में)

बजट मद क्रमांक एवं बजट मद का नाम जिसमें से राशि अन्तरित की जाना है।	प्रावधानित राशि	बजट में से अन्तरित की जाने वाली राशि	बजट मद क्रमांक एवं बजट मद का नाम जिसमें राशि अन्तरित की जाना है।	बजट में अन्तरित की जाने वाली राशि
1	2	3	4	6
2305104 तरण पुष्कर (महुनाका) अटल संकुल	10.00 लाख	4.00 लाख	2305104 उद्यानों का विकास (मुख्य उद्यान)	250.00 लाख
2305153 उद्यानों के रख-रखाव पर आर डबलूए मोहल्ला समिति के माध्यम से करने पर व्यय	5.00 लाख	4.90 लाख	2305189 बगीचों तथा मनोरंजन स्थलों का संधारण	50.00 लाख
2305162 पिपल्यापाला रीजनल पार्क के रख-रखाव पर व्यय	300.00 लाख	110.00लाख		
2305178 तरण पुष्कर नेहरू पार्क का रख-रखाव पर व्यय	10.00 लाख	4.00 लाख		
2305179 चौराहों कस सौन्दर्यीकरण मुख्य	10.00 लाख	1.40 लाख		
2305180 बिजासन उद्यान का रख-रखाव	3.00 लाख	2.00 लाख		
2305181 पं. दीन दयाल उपाध्याय उपवन का रख-रखाव	3.00 लाख	2.00 लाख		
2305183 पिपल्यापाला उद्यान का रख-रखाव	1.00 लाख	00.90 लाख		
4101010 नेहरू पार्क का विकास	15.00 लाख	14.90 लाख		
4101012 शासकीय भूमि पर पौधारोपण में व्यय	25.00 लाख	2.00 लाख		
4101029 सिरपुर तालाब के पास मनोरंजन स्थल अप्पु घर एवं अन्य पर व्यय	15.00 लाख	14.90 लाख		
4105011 डम्पर/जे.सी.बी./ट्रक/ट्रेक्टर/पानी की टंकियां क्रय करना	40.00 लाख	39.50 लाख		
4108015 किड्स ज्ञान योजना पर व्यय	100.00 लाख	99.50 लाख		
कुल योग-		300.00 लाख		300.00 लाख

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।

2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर



मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७२५ दिनांक १२.२.२०१३

आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक कु.दिपिका शेखावत प्रभुसिंह शेखावत ,सर्वहरा नगर गली नं.०३ इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २५००की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक शिक्षा निकेतन हायर सेकेण्डरी स्कूल के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७२६ दिनांक १२.२.२०१३

आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री शुभम कुशवाह पिता श्री भुरेलाल पता ६/१ गोमा की फेल इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २५००की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 727 दिनांक 12.02.2013

झोन क्रमांक 13 बिजलपुर गांव में शा. प्रा. स्कूल से श्री ओमप्रकाश आर्य के मकान के चौक तक सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 130/सी.ई. /बिल्स/12-13 दिनांक 03-11-2012 पर प्रभारी जनकार्य समिति की राय क्रमांक 172 दिनांक 3.11.12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 211 दिनांक 30.6.2012 का अवलोकन किया गया।

2- विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु संशोधित अनुमान पत्रक राशि रूपये 38,98,444/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार तकनीकी, प्रशासकीय एवं निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।

2. रेसीडेन्ट आडिट

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 728 दिनांक 12.02.2013

जल यंत्रालय एवं ड्रेनेज विभाग के बजट मदों में पुनर्विनियोग कराने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2612 दिनांक 22-01-13 प्रभारी जलकार्य समिति की राय क्रमांक 97 दिनांक 4.2.13 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2012-2013 के विभागीय बजट मदों में प्रावधानित राशि अनुसार प्रस्तावित कार्यों हेतु निम्नानुसार उल्लेखित (कॉलम नं.3) में से राशि (कॉलम नं.4) का पुनर्विनियोग कर अन्तरित करने की स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि लाख में)

बजट मद क्रमांक एवं बजट मद का नाम जिसमें से राशि अन्तरित की जाना है		मद में प्रावधानित राशि	बजट में से अन्तरित की जाने वाली राशि	बजट मद क्रमांक एवं बजट मद का नाम जिसमें राशि अन्तरित की जाना है		बजट मद में अन्तरित की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6	7
4103117	शहर की समग्र ड्रेनेज विकास योजना पर व्यय	4000.00	850.00	4103103	नई सीवर लाईन डालना	600.00
				4103106	नई सीवर लाईन डालना (स्लम एरिया)	50.00
				4103107	नई सीवर लाईन डालना (जन सहयोग)	50.00
				4103104	नालियों का निर्माण	50.00
				4102020	सार्वजनिक शौचालय मूत्रालय बनाने पर व्यय	100.00
कुल योग-			850.00	कुल योग-		850.00

जानकारी हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।  
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 729 दिनांक 12-02-2013

तिलक नगर मुक्तिधाम पर मस्टर पर नियुक्ति के संबंध में आयुक्त का क्रमांक 2052, दिनांक 01-12-2012 प्रभारी, विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग का पृ. पत्र क्रमांक 3194 दिनांक 03-01-2013 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में तिलक नगर मुक्तिधाम श्मशान की देख-रेख हेतु मेयर-इन-काउंसिल संकल्प क्रमांक 10 दिनांक 20.05.2011 के तारतम्य में एक दैनिक वेतन भोगी मस्टर श्रमिक के रूप में चौकीदार/माली के कार्य हेतु आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस के लिए अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-10-2012 से 31 मार्च 2013 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।
3. अन्य मुक्तिधाम पर कार्य व्यवस्था हेतु कर्मचारियों की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर प्रकरण 7 दिवस में प्रस्तुत करे।
4. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम, इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 716

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 730 दिनांक 12-02-2013

सरवटे/गंगवाल बस स्टेण्ड पर संचालित रैन बसेरा योजना महिला कक्ष में 02 महिला कर्मी की नियुक्ति अवधि जारी रखने के संबंध में आयुक्त का क्रमांक 2090 दिनांक 05-12-2012 प्रभारी, विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग का पृ. पत्र क्रमांक 3196 दिनांक 03-01-2013 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सरवटे/गंगवाल बस स्टेण्ड पर संचालित रैन बसेरा योजना महिला कक्ष में 02 महिला कर्मी की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस के लिए अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-08-2012 से 31 मार्च 2013 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 730 दिनांक 12-02-2013

सरवटे/गंगवाल बस स्टेण्ड पर संचालित रैन बसेरा योजना महिला कक्ष में 02 महिला कर्मी की नियुक्ति अवधि जारी रखने के संबंध में आयुक्त का क्रमांक 2090 दिनांक 05-12-2012 प्रभारी, विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग का पृ. पत्र क्रमांक 3196 दिनांक 03-01-2013 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सरवटे/गंगवाल बस स्टेण्ड पर संचालित रैन बसेरा योजना महिला कक्ष में 02 महिला कर्मी की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस के लिए अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-08-2012 से 31 मार्च 2013 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
  2. रेसीडेन्ट आडिट
  3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
  4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 731 दिनांक 12-02-2013

झोन क्र.07 पर डाटा इंट्री कार्य हेतु कुशल श्रमिक की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का क्रमांक 832 दिनांक 22-12-2012 पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्र.07 पर ऑन लाईन डाटा इंट्री,काल सेंटर से प्राप्त शिकायतों का निराकरण,पेंशन सामान्य राशन कार्ड,नल कनेक्शन ,साप्ताहिक ,मासिक जानकारी की ऑन लाईन डाटा इंट्री कार्य को दृष्टिगत रखते हुए कम्प्यूटर आपरेटर कार्य के लिए एक मस्टर कुशल दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की कार्य आवश्यकता व औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस के लिए अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01-08-2012 से 31 मार्च 2013 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर



एक मस्टर श्रमिक की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का क्रमांक 2470/असे. दिनांक 04-12-2012 प्रभारी, राजस्व समिति की राय पर विचार किया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में आयुक्त द्वारा कार्य व्यवस्था के दृष्टिगत राजस्व कार्यालय में कार्य सम्पादन हेतु दिनांक 23-06-2012 से रखे गये एक मस्टर श्रमिक द्वारा लिये गये कार्य की पुष्टि एवं कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस के लिए अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 23-06-2012 से 31 मार्च 2013 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७३३ दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री मुकेश पिमा रामचन्द्रजी राठौर पता १८२/४ हुकुमचन्द कॉलोनी इन्दौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २००० की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक न्यु हरिकिशन पब्लिक के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७३४ दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती कैलाशीबाई कुशवाह पता १६०/३ अखण्डनगर, इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २०००की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक डेलीयन पब्लिक स्कुल के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७३५ दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती कोमल मोटवानी पता १५३ स्टेडियम ग्राउण्ड नंदानगर इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २०००की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक पिंक फ्लावर उ.मा.विद्यालय के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७३६ दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री घनश्यामहसिंह पिता जसवंत सिंह चौहान पता ६८/२ परदेशीपुरा इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २०००की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक प्रगति हायर सेकेण्डरी स्कूल के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिटर
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७३७ दिनांक १२.२.२०१३

ईलाज हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक मुस्तकीम भूरेखा पता जुनारिसाला अजुर्नसिंह नगर इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २०००की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक आवेदक के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

1- आयुक्त

2- रेसीडेन्ट आडिट

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७३८ दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री दीपक सेन पता १२५, ब्रह्मबाग कॉलोनी इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आवेदक को २००० की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय” में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक डॉ.राजश्री विद्यापीठ के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिटर
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७३६ दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री मोहन नागादिवे पता शांति नगर,मुसाखेडी, इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को २०००की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक सीताराम पब्लिक स्कूल के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर



मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७४० दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री मुकेश राठौर पिता रामचन्द्र राठौर पता १८२ हुकुमचन्द कॉलोनी इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को १०००/- की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक श्री क्लॉथ मार्केट वेष्णव हायर सेकेण्डरी स्कूल के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 741 दिनांक 12-02-2013

शासन आदेशानुसार निगम कर्मचारियों को 01 नवम्बर, 2011 से 10 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3526, दिनांक 07-12-12 प्रभारी विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 3198 दिनांक 03-01-2013 पर विचार किया गया। डाटा इन्ट्री

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-11-12/2010 नियम/चार भोपाल, दिनांक 01-09-2012 के द्वारा 07 लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों के क्रम में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार इन्दौर नगर निगम के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन निर्देशानुसार 01 नवम्बर 2011 से गृह भाड़ा भत्ता 10 प्रतिशत (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत) की दर भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

3. दिनांक 01 नवम्बर 2011 से दिनांक 30 नवम्बर 2012 तक गृह भाड़ा भत्ता की एरियर राशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जावे एवं 01 दिसम्बर 2012 से राशि का नगद भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक  
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक ७२८

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७४२ दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्रीमती पुष्पा उफाल मीनल उफाल पता ४१,वृदावन कॉलोनी इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को ३०००/- की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक श्री गुजराती समाज ए.एम.एन.इंग्लिश स्कूल के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

1- आयुक्त

2- रेसीडेन्ट आडिट

की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल क्रमांक ७४३ दिनांक १२.२.२०१३

शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता /अनुदान देने के संबंध में आवेदक श्री मुकेश राठौर पिता रामचन्द्र राठौर पता १८२ हुकुमचन्द कॉलोनी इंदौर के आवेदन-पत्र पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को १०००/- की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय“ में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव 79 दिनांक 21-8-2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक श्री क्लॉथ मार्केट वेष्णव हायर सेकेण्डरी स्कूल के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त/सचिव नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
नगर पालिक निगम,इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
  - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 744 दिनांक 12.02.2013

उद्यान विभाग के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 62 (नया वार्ड क्रमांक 47) साईनाथ कॉलोनी म.न. 26-बी., सेक्टर ए के उद्यान की शेष कम्पाउण्डवाल एवं पाथवे के निर्माण हेतु सक्षम स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक/सी.ई./उद्यान 573 दिनांक 10-01-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 8,13,000/- के कार्य की प्रस्ताव अनुसार प्रशासकीय, तकनीकी/वित्तीय व निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 745 दिनांक 12.02.2013

122.5 एम.एल.डी. जलयंत्रालय शोधन संयंत्र के लिए थर्ड पार्टी नियुक्ति करने की सक्षम स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 30/अ.य./ज.यं. एण्ड ड्रेनेज/दिनांक 07-02-2013 पर प्रभारी,जलकार्य समिति की राय क्रमांक 102 दिनांक 11-02-2013 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में 122.5 एम.एल.डी. जलयंत्रालय शोधन संयंत्र के ई. एण्ड एम. संयंत्रों के निरीक्षण हेतु अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भारत सरकार के कॉमर्स एवं इन्डस्ट्री विभाग के अंतर्गत डी.जी.एस. एण्ड डी. को थर्ड पार्टी नियुक्त करने की स्वीकृति दी जाती है

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर

झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 45 के अन्तर्गत ड्रेनेज कार्य हेतु 5 अस्थायी श्रमिकों की कार्य अवधि वृद्धि 1 जनवरी 2013 से 30 जून 2013 तक करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2750 दिनांक 06-02-2013 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा एवं चर्चा के प्रकाश में झोन क्रमांक 10 वार्ड क्रमांक 45 में सीवर लाईन की सफाई व्यवस्था (ड्रेनेज कार्य) हेतु कार्य की अधिकता को देखते हुए 05 ड्रेनेज सफाई श्रमिक (दैनिक वेतन भोगी) आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस के लिए अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थाई रूप से ( कोई क्लेम मान्य नहीं होगा ) दिनांक 01 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे  
महापौर/पदेन अध्यक्ष  
मेयर इन कौंसिल  
नगर पालिक निगम,इन्दौर  
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट  
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव  
नगर पालिक निगम,इन्दौर